

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 155 /2022

दिनांक : 04.04.2022

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ./38/2022 दिनांक 07.03.2022 के द्वारा श्रीमती सीमा हुड्डा (RJ0900), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर) को दिनांक 04.03.2022 से 10.03.2022 तक 07 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 04.03.2022 से 07.03.2022 तक 04 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 04.04.2022

क्रमांक:- स्था.बी.2(4)/71/2015/2630

दिनांक : 05.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 1710 दिनांक 14.03.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती सीमा हुड्डा (RJ0900), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर) ।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर) ।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर) ।


सहायक रजिस्ट्रार